Regarding rejoining of Rahul Gandhi as a Member of Parliament in Lok Sabha

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, ?रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा? के रूल - 353 के तहत मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूं । आप जानते हैं कि इतने दिनों के बाद हमारे नेता राहुल गाँधी जी को दोबारा सदन में वापस आने की इजाजत आपकी तरफ से मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिल चुकी थी, इसलिए वे आज सदन में आए ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात रखिए ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सदन में आते ही आज की ही तारीख में उनके खिलाफ एक ओछे तरीके से, घटिया तरीके से और जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वे आधारहीन हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे और बाद में उस पर रूलिंग भी देंगे ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं ।?(व्यवधान) Rule 353 states that no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made ?(Interruptions)

माननीय सभापति: हम आपको रूलिंग देंगे ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है । अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपने मैम्बर्स से कहिए कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं । सबसे पहले वे अपना स्थान ग्रहण करें ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें अपनी बात को रखने दिया जाए और वह भी शांति से रखने दिया जाए ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए?

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए, यह मेरी दरख्वास्त है ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए ।

?(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Point of Order is under Rule 353. It is clearly stated that no allegation of a defamatory or incriminatory in nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. मेरा सवाल यह है कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं । राहुल गांधी जी सदन में बैठे थे ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी है ।

?(व्यवधान)

15.00 hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, राहुल गांधी जी के खिलाफ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बोलने नहीं देते, हम क्या करें,?(व्यवधान) राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ओछे तरीके से घटिया टिप्पणी की गई है और वह भी सत्तारूडढ़ पार्टी की तरफ से?(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको जवाब देता हूं ।

?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.